



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179459

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8141 वर्ष 2026

सालिक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अंकित श्रीवास्तव, चौधरी दिल निसार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 129 सन् 2026, धारा 8/21/29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना- नकुड़, जनपद- सहारनपुर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया है। सह-अभियुक्त उस्मान, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और जिसकी कब्जे से 100 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है, ने कथित रूप से अपने संस्वीकृति बयान में आवेदक का नाम लिया है। आरोप यह है कि सह-अभियुक्त उस्मान उक्त मादक पदार्थ को आवेदक को देने के लिए ले जा रहा था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। बरामद मादक पदार्थ की मात्रा निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है तथा आवेदक जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और न तो फरार होगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि सह-अभियुक्त के संस्वीकृति बयान में आवेदक का नाम सामने आया है। उसे अभिरक्षा में पूछताछ तथा आगे की बरामदगी के लिए आवश्यकता हो सकती है। उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।



6. सह-अभियुक्त उस्मान के पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है। बरामद मादक पदार्थ की मात्रा स्मैक (हेरोइन) के लिए निर्धारित 250 ग्राम की वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त उस्मान, जिसकी कब्जे से उक्त मादक पदार्थ बरामद होना बताया गया है, को इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 11614 सन् 2026** में नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। चूंकि सह-अभियुक्त के पास से बरामद स्मैक की मात्रा निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से कम है, इसलिए वर्तमान मामले में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 की कठोरताएं लागू नहीं होती हैं। सह-अभियुक्त उस्मान के संस्वीकृति बयान के अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध कोई अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।

7. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. आवेदक **सालिक** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के उद्देश्य से की गई हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

25 अगस्त, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)